



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-02062026-273060
CG-UP-E-02062026-273060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2655]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2026/ज्येष्ठ 9, 1948

No. 2655]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2026/JYAISHTHA 9, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 27 मई, 2026

का.आ. 2748(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संसोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वाँ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित, राजपत्र संख्या 5576 दिनांक 15 दिसम्बर 2025 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय [उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)] की अधिसूचना संख्या- का.आ. 5771 (अ), दिनांक 13 दिसम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के तहसील निवाड़ी में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क के उपधारा (4) के अधिन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक 28 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित किया गया था;

जिसमें कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए, तदनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं,

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह की केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना "झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना" के लिए निवाड़ी जिले के निवाड़ी तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	जनपद/ तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भू-स्वामी का नाम वल्दियत व जाति का विवरण
1	2	3	5	6	7	8	9
1	निवाड़ी	टेहरका खास	2681/4	0.4390	निजी	कृषि	पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र मोतीलाल पाल, 1/10
							मिलन पुत्र मोतीलाल पाल, 1/10
							मुन्नालाल पुत्र हरनारायण, 1/35
							ठाकुरदास पुत्र मथुराप्रसाद, 1/30
							मातादीन पुत्र मथुराप्रसाद, 1/30
							हजारीलाल पुत्र जानकीप्रसाद, 1/5
							आशाराम पुत्र मथुराप्रसाद, 1/30
							अशोककुमार पुत्र मथुराप्रसाद, 1/30
							सुन्दरलाल पुत्र मथुराप्रसाद, 1/30
							मातादीन पुत्र हरनारायण, 1/35
							धनीराम पुत्र हरनारायण, 1/35
							धनवन्ती बेवा मथुराप्रसाद, 1/30
							राजारानी बेवा हरनारायण, 1/35
							लखनलाल पुत्र हरनारायण, 1/35
							सीताराम पुत्र हरनारायण, 1/35
							पुक्खन पुत्री हरनारायण, 1/35
हरकुंवर बेवा मदन, 1/20							
अनिल कुमार पुत्र मदन, 1/20							
सुनील कुमार पुत्र मदन, 1/20							
सुनीता आर्या पुत्री मदन, 1/20							
2			2746/7/1/1	0.0700	निजी	कृषि	हरिशंकर पुत्र पजन अहिरवार, 1/3
							किशोरीलाल पुत्र पजन, 1/3
							जगदीश पुत्र पजन अहिरवार, 1/3
3			2747/1/1	0.0800	निजी	कृषि	हरिशंकर पुत्र पजन अहिरवार, 1/3
							किशोरीलाल पुत्र पजन, 1/3
4			2746/7/1/2	0.0370	निजी	कृषि	हरिशंकर पुत्र पजन अहिरवार, (पूर्ण हिस्सा)
			2746/7/2/1	0.0100			
			2747/1/2	0.1760			

5			2747/2/1	0.0820	निजी	कृषि	किशोरीलाल पुत्र पजन अहिरवार, (पूर्ण हिस्सा)
			2746/7/2/2	0.0660			
			2746/7/3	0.0160			
			2747/2/2	0.1720			
			2747/3	0.0520			
कुल योग			1.2000				

[ई- फा. सं. एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.भूमि/5/2022-ओ.अ.डिप्टी.सी.ई.सी-1 झांसी (कम्प्यूटर नं. 60371)
दिनांक 12.04.2022]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 27th May, 2026

S.O. 2748(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the ministry of Railways (North Central Railway, Construction Department), Notification Number S.O. 5771(E), dated the 13 December 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Gazette Number 5576, dated the 15 December 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11th of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely “Construction of Jhansi-Khairar-Manikpur & Khairar-Bhimsen Rail Line Doubling Project” in the district of Niwari in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Dainik Jagran & Amar Ujala” dated 28 December 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act shall be final.

And whereas, No objection was received and the same has been considered by the Competent authority accordingly order has been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “Jhansi-Khairar-Manikpur & Khairar-Bhimsen Rail Line Doubling Project” under Niwari Tehsil of Niwari District in the state of Madhya Pradesh.

Sl. No.	Name of District/ Tehsil	Name of Village	Khasra No	Acquisition Area (In Hectare)	Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Niwari	Teharka khas	2681/4	0.4390	Pvt.	Agri.	Pushpendra Singh, son of Motilal Pal — 1/10 Milan, son of Motilal Pal — 1/10

							Munnalal, son of Harnarayan — 1/35
							Thakurdas, son of Mathuraprasad — 1/30
							Matadin, son of Mathuraprasad — 1/30
							Hazarilal, son of Jankiprasad — 1/5
							Asharam, son of Mathuraprasad — 1/30
							Ashok Kumar, son of Mathuraprasad — 1/30
							Sundarlal, son of Mathuraprasad — 1/30
							Matadin, son of Harnarayan — 1/35
							Dhaniram, son of Harnarayan — 1/35
							Dhanwanti, widow of Mathuraprasad — 1/30
							Rajarani, widow of Harnarayan — 1/35
							Lakhanlal, son of Harnarayan — 1/35
							Sitaram, son of Harnarayan — 1/35
							Pukkhan, daughter of Harnarayan — 1/35
							Harkunwar, widow of Madan — 1/20
							Anil Kumar, son of Madan — 1/20
							Sunil Kumar, son of Madan — 1/20
							Sunita Arya, daughter of Madan — 1/20
2		2746/7/1/1	0.0700	Pvt.	Agri.		Harishankar, son of Pajan Ahirwar — 1/3 Kishorilal, son of Pajan — 1/3 Jagdish, son of Pajan Ahirwar — 1/3
3		2747/1/1	0.0800	Pvt.	Agri.		Harishankar, son of Pajan Ahirwar — 1/3 Kishorilal, son of Pajan — 1/3 Jagdish, son of Pajan Ahirwar — 1/3
4		2746/7/1/2	0.0370	Pvt.	Agri.		Harishankar, son of Pajan Ahirwar (Full Share)
		2746/7/2/1	0.0100				
		2747/1/2	0.1760				
		2747/2/1	0.0820				
5		2746/7/2/2	0.0660	Pvt.	Agri.		Kishorilal, son of Pajan Ahirwar (Full Share)
		2746/7/3	0.0160				
		2747/2/2	0.1720				
		2747/3	0.0520				
Total			1.2000				

[e-F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY. CE/C-I/JHS(Computer No. 60371) dated 12.04.2022]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (construction)